

an>

Title: Need to include Hindu Banjara Caste in the list of Scheduled Tribes in Uttar Pradesh.

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश की हिन्दू बंजारा जाति सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी होने के कारण उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल ने 21/09/1991 को पत्र के माध्यम से एवं उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की इथनोग्राफिक्स आख्या के आधार पर तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश शासन ने अपने पत्र दिनांक 21/08/1998 के माध्यम से उक्त जाति को जनजाति की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव किया था। उस पर भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय ने 21/11/2005 को आख्या मांगी थी, जिसमें निदेशक, अनुसूचित जाति-जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान ने उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में हिन्दू बंजारा जाति का इथनोग्राफिक सर्वेक्षण कराकर आख्या उत्तर प्रदेश शासन को अपने पत्र संख्या दिनांक 27/08/2008 के माध्यम से प्रेषित की, जिसमें उक्त जाति को जनजाति की सूची में शामिल करने की स्पष्ट संस्तुति की गयी। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित करके उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 1699, दिनांक 8/11/2013 को भारत सरकार के जनजाति मंत्रालय में संयुक्त सचिव को प्रेषित किया, जिसमें उक्त जाति को जनजाति की सूची में शामिल करने की स्पष्ट संस्तुति की गयी थी, परन्तु तत्कालीन सरकार ने स्पष्ट संस्तुति के बावजूद उक्त बंजारा समुदाय को जनजाति में शामिल नहीं किया है।

आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि उक्त बंजारा जाति को जनजाति में शामिल करवाने की कृपा करें। धन्यवाद।

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra is permitted to associate with the issue raised by Shri Ajay Mishra Teny.